न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ,बांसवाड़ा, जिला बांसवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :– सुश्री सोनू कुमारी (आई.ए.एस)
प्रकरण संख्या :– 51/2024
उनवान मुकदमा

1. जयशंकर सोमपुरा पिता श्री गवरीशंकर सोमपुरा आयु वयस्क जाति सोमपुरा निवासी ग्राम तलवाडा तहसील व जिला बांसवाडा। –प्रार्थी

बनाम

1. श्रीमती मधु शर्मा पत्नी श्री शशि कुमार शर्मा आयु वयस्क निवासी ग्राम तलवाडा तहसील व जिला बांसवाड़ा।
2. भूमिधारी जरिए तहसीलदार तहसील बांसवाडा जिला बांसवाड़ा (राज.)। –अप्रार्थीगण
3.

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

निर्णय

दिनांक :–13/10/2025

प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण यह है कि प्रार्थी के द्वारा अप्राथीगण के विरुद्ध यह प्रार्थना पत्र दावा बाबत राजस्व रिकार्ड में शुद्धिकरण हेतु अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि, प्रार्थी जयशंकर सोमपुरा व रुकमणी पत्नी स्व. गवरीशंकर के संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि खाता संख्या 474 नयी, 1236 पुरानी के आराजी सर्वे नम्बर 5960/1109, रकबा 0.1861 है. किस्म भूमि का.गो.2, लगानी 0.39 रुपया, वाके राजस्व ग्राम तलवाडा, पटवारी हल्का तलवाडा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र तलवाडा, तहसील व जिला बांसवाडा राजस्थान में स्थित है जो कि राजस्व रिकॉर्ड की जमाबंदी संवत् 2074 से 2077 में प्रार्थी जयशंकर पुत्र गवरीशंकर हिस्सा 1/2 के नाम खातेदारी के रुप में दर्ज रिकॉर्ड है। उपरोक्त सर्वे नम्बर की कृषि भूमि पर संयुक्त रुप से काबिज होकर विगत 40 वर्षो से कृषि कार्य करते चले आ रहे है।

प्रार्थी विगत 40 वर्षो से आपसी बंटवारे में खसरा नम्बर 1109 में बटवारा कर अपने हिस्से में प्राप्त दक्षिणी भाग में खेती करता चला आ रहा है। कुछ समय पूर्व वादी की चाची स्वं श्रीमती सोमलता देवी की पुत्री कलावती ने उसके हिस्से की उत्तरी तरफ भाग वाली भूमि अप्रार्थी संख्या 01 मधु शर्मा को बेच दी। जिसके पश्चात् वादी ने उक्त आराजी सर्वे नम्बर 5960/1109 में अपनी भूमि का नक्शा भू नक्शा पोर्टल से निकलवाया तब उक्त भूमि को गलत रुप से दर्शाया गया है उक्त सर्वे नम्बर की कृषि भूमि में मौके व कब्जे के सम्बन्ध में किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। राजस्व दस्तावेजों में दुरस्ती कर संशोधन नही किया तो प्रार्थी को भविष्य में ऐसी असहाय हानि होगी जिसका रुपयो में मूल्याकंन नहीं होगा।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब करने पर अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से प्रार्थना–पत्र धारा 136 एल.आर.एक्ट का जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थी जयशंकर सोमपुरा पुत्र गवरी शंकर सोमुपुरा निवासी तलवाड़ा खसरा नम्बर 5960/1109 रकबा 0.1861 हैक्टेयर दक्षिणी भाग वाली भूमि पर काबिज होकर काश्त करना प्रार्थना पत्र स्वीकार किया। जवाब प्रार्थना पत्र के साथ नक्शा ट्रेस की प्रति, जमाबन्दी संवत् 2074–2077,

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा (राजस्थान)

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाडा (राज.)

Scanned with CamScanner

पेश किये। अप्रार्थी संख्या 2 ने प्रार्थना पत्र 136 एल.आर.एक्ट. का जवाब प्रस्तुत कर खसरा नम्बर 5960/1109 राजस्व ग्राम तलवाड़ा के मूल खसरा नम्बर 1109 का पार्ट है। उक्त खसरा नम्बर की मौका जांच अनुसार श्री जयशंकर सोमपुरा खसरा नम्बर 5960/1109 श्रीमती मधु शर्मा के दक्षिण दिशा में काबिज है। उक्त आराजी नम्बर के राजस्व लट्ठे के अनुसार खसरा नम्बर 1109 के दक्षिण दिशा में 5960/1109 दर्शाया गया है। खसरा नम्बर 5960/1109 भू-नक्शा पोर्टल पर खसरा नम्बर 1109 के पूर्व दिशा में दर्शाया गया है। प्रार्थी राजस्व नक्शा लट्ठे के अनुसार मौके पर काबिज है, परन्तु भू-नक्शा पोर्टल में गलत दर्शाया गया है। उक्त खसरा नम्बर 5960/1109 को भू-नक्शा में राजस्व नक्शा लट्ठे के अनुसार संशोधन किया जाना उचित है। प्रार्थना पत्र के साथ खसरा नक्शा एवं जमाबन्दी पेश किया।

हमने उभयपक्ष की बहस को सुना तथा पत्रावली पर अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना-पत्र एवं उपलब्ध दस्तावेज प्रार्थी का प्रार्थना पत्र, जमाबन्दी संवत् 2052 -2055, जमाबन्दी संवत् 2060 -2063, जमाबन्दी संवत् 2068 -2071, जमाबन्दी संवत् 2074-2077, खाता संख्या 2057 जमाबन्दी संवत् 2074 -2077, का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार राजस्व ग्राम तलवाडा, पटवारी हल्का तलवाडा, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र तलवाडा, तहसील व जिला बांसवाडा में प्रार्थी की कृषि भूमि खाता संख्या 474 नयी, 1236 पुरानी के आराजी सर्वे नम्बर 5960/1109, रकबा 0.1861 है. किस्म भूमि का.गो.2, भूमि में राजस्व नक्शा लट्ठे के अनुसार ऑनलाईन भू-नक्शा ट्रेस में संशोधन किये जाना आवश्यक है। ताकि प्रार्थी अपने खातेदारी अधिकारों का अबाध व पूर्ण उपयोग कर सके। अतःप्रार्थी के हाल राजस्व रिकार्ड में तरमीम संबंधी इन्द्राज को मुताबिक राजस्व नक्शा लट्ठे के अनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाना उचित है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 अन्य दस्तावेज व तहसीलदार रिपोर्ट से साबित होने के कारण स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

(सोनू कुमारी)
उपखण्ड अधिकारी
बांसवाडा

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाडा (राज.)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा (राजस्थान)

-::आदेश::-

प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र धारा 136 अन्तर्गत भू-राजस्व अधिनियम 1956 राजस्व रेकार्ड अन्य दस्तावेज व तहसीलदार रिपोर्ट से साबित होने के कारण स्वीकार किया जाकर मौजा ग्राम तलवाडा, पटवारी हल्का तलवाडा, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र तलवाडा, तहसील व जिला बांसवाडा में प्रार्थी की कृषि भूमि खाता संख्या 474 नयी, 1236 पुरानी के आराजी सर्वे नम्बर 5960/1109, रकबा 0.1861 है. किस्म भूमि का.गो.2, भूमि में राजस्व नक्शा लट्ठे के अनुसार ऑनलाईन भू-नक्शा ट्रेस में तरमीम दुरस्ती करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार बांसवाडा को निर्णय की छायाप्रति पृथक से पालना हेतु भेजी जावें।

आदेश आज दिनांक 13/10/2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सोनू कुमारी)
उपखण्ड अधिकारी
बांसवाडा

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाडा (राज.)

Scanned with CamScanner